22 मई को सायं 4:00 बजे से प्रधानमंत्री आवास योजना की लॉटरी निगम भिलाई में

भिलाईनगर। शासन की महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना मोर मकान–मोर चिन्हारी घटक से निर्मित मकानों का आबंटन किया जा रहा है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर जोन 04 शिवाजी नगर खुर्सीपार वार्ड क्रं. 42 गौतम नगर खुर्सीपार मेन सीवर लाईन से पूर्ण रूप से प्रभावित 18 हितग्राहियों में जो पूर्ण राशि जमा कर चुके है। उन्हे लॉटरी के माध्यम से मकान आबंटन किया जाएगा। इसी प्रकार आंशिक राशि जमा हितग्राहियों का प्रावधिक आबंटन करने स्वीकृति की प्रत्याशा में एक मुश्त तथा आंशिक अंशदान राशि जमा कराकर मोर मकान–मोर आस घटक से निर्मित मकान सामान्य वर्ग एवं दिव्यांगध्वरिष्ठ नागरिकजनों को मकान खुली लॉटरी पद्वति से किया जाना है। प्रमुख स्थल कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे खम्हरिया, आम्रपाली हाउसिंग बोर्ड, माईल स्टोन के पीछे खम्हरिया, सूर्या विहार के पीछे खम्हरिया, स्वप्निल बिल्डर्स कुरूद एवं अन्य परियोजना स्थलों से निर्मितधनिर्माणाधीन आवासों का आबंटन हेतु जिला चयन समिति की बैठक में अनुमोदन पश्चात हितग्राहियों से 10 प्रतिशत अंशदान की राशि जमा कराकर 22 मई 2025 को समय दोपहर 4:00 बजे नगर निगम भिलाई मुख्य कार्यालय के सभागार में खुली लॉटरी पद्वति से आवास आबंटन किया जाएगा। नागरिक आवश्यक दस्तावेज साथ में लाकर लॉटरी में भाग ले सकते है और मकान प्राप्त कर सकते है। नागरिको के सहुलियत के अनुसार छोटे–छोटे स्तर पर लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जिससे लोग अपने मन पसंद स्थल पर अपना मकान प्राप्त कर सकते है। आयुक्त पाण्डेय ने क्षेत्र के नागरिको से अपील किए है कि जिन नागरिको के पास स्वयं का मकान नहीं है और मकान के लिए आवेदन करना चाहते है। वे सभी निगम मुख्य कार्यालय के योजना शाखा के काउंटर पर जाकर आवेदन प्राप्त कर सकते है। योजना विभाग में लॉटरी को लेकर सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। मांगे गए आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आवेदन काउंटर पर जमा करें। उसके पश्चात पात्र सूची में नाम आने के बाद नियमानुसार मकान की राशि जमा कराकर लॉटरी में भाग लेकर मकान प्राप्त कर सकते है।